तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3491/2006/टोंक किशनसिंह वगैरहा बनाम भंवरसिंह वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 28–10–2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खाते की भूमि नहीं है, इस कारण वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। सांराशतः वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी बाबत राज्य सरकार रेफरेंस की कार्यवाही अमल में लाई गई है। उनका तर्क है कि वाद पत्र व रेफरेंस में अलग–अलग कथनों का समावेश वादीगण द्वारा किया गया है। आगे बताया कि मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3491/2006/टोंक किशनसिंह वगैरहा बनाम भंवरसिंह वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रावधानों के अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसको निगरानी के माध्यम से खारिज किया जाना अपेक्षित है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जाकर सहायक जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–5–206 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा साथ ही वादीगण के वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार की ओर से विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत घोषणा, बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रार्थना पत्र के माध्यम से खारिज किया जाना विधि सम्मत् नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में विधि सम्मत् निर्णय पारित कर प्रतिवादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं निगराधनी निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थीगण/प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3491/2006/टोंक किशनसिंह वगैरहा बनाम भंवरसिंह वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दु निहित होने से इनका निर्धारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। विवादित आराजी बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही के दौरान पेश किए आलोच्य प्रार्थना पत्र का विश्लेषण किया है। जिसमें मुख्य रूप से वादीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी के बाबत रेफरेंस की कार्यवाही लम्बित होना दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार वादीगण की प्लीडिंग्स अस्पष्ट है। प्रार्थना पत्र में कारित उद्धरण के क्रम में हमारी सुविचारित राय है कि उठाये गये आक्षेपों के क्रम में तनकी निर्मित्त की जाकर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर उसका विधिवत निस्तारण किया जाना समीचीन है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3491/2006/टोंक किशनसिंह वगैरहा बनाम भंवरसिंह वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा निगरानी के माध्यम से केवल मात्र उन्हीं आदेशों में हस्तक्षेप किया जाता है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत अथवा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया हो। परन्तु हस्तगत मामले में ऐसा नहीं होना प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–5–2006 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3491/2006/टोंक किशनसिंह वगैरहा बनाम भंवरसिंह वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए